दिनांक 24.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 32/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर

- **01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 24.12.2024 को थाना गोमतीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सहारा पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रविकान्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद चंदौली के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोमतीनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रविकान्त निवासी आवास विकास योजना नं0–3 अम्बेडकरनगर थाना कल्याणपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

जनपद फतेहपुर/थाना बिंदकी

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 23.12.2024 को थाना बिंदकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–प्रान्जल 2–दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिंदकी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का

पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश कुमार के विरूद्ध धोखाधड़ी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिंदकी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रान्जल निवासी मोहल्ला जहानपुर थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर।

2–दिनेश कुमार निवासी मोहल्ला जहानपुर थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर।

जनपद उन्नाव/थाना बेहटा मुजावर

- **05–05 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 24.12.2024 को थाना बेहटा मुजावर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पतेली पुल चौराहा से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–रघुनाथ उर्फ जगुन्नाथ 2–दन्तू प्रसाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बेहटा मुजावर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 05–05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रघुनाथ उर्फ जगुन्नाथ निवासी गौरिया कलां थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव।

2–दन्तू प्रसाद निवासी गौरिया कलां थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव।

जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 23/24.12.2024 की रात्रि थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम सनौली से कुंडाकला जाने वाले मार्ग पर कार सवार

बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नईम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, सीएस एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गंगोह पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नईम निवासी मोहल्ला गुलाम औलिया कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–01 कार।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना नकुड़

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 22 हजार 300 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 मोबाइल फोन, 07 सिम कार्ड**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 24.12.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान अम्बेहटा सीएचसी के सामने गंगोह रोड पर मोटर साइकिल सवार

बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त निखिल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 22 हजार 300 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 मोबाइल फोन, 07 सिम कार्ड, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना नकुड़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– निखिल निवासी ग्राम खैरशाल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लूट के 22 हजार 300 रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–01 मोबाइल फोन, 07 सिम कार्ड।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मैनपुरी/थाना करहल

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये (कीमत) के 120 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना प्रयुक्त केन्टर वाहन बरामद**

दिनॉकः 24.12.2024 को थाना करहल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करहल घिरोर रोड रेलवे क्रासिंग से 02 अभियुक्तों 1–शिवम उर्फ भोला 2–योगेश को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये (कीमत) के 120 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना प्रयुक्त केन्टर वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना करहल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम उर्फ भोला निवासी ग्राम मोहनपुर थाना सकरौली जनपद एटा।

2–योगेश निवासी भीलनगर थाना सकरौली जनपद एटा।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये (कीमत) के 120 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–घटना प्रयुक्त केन्टर वाहन।

- **इटावा/थाना भरथना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–भारत को धारा 147/148/149/302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 2–राजेश उर्फ गंठा 3–सौरभ को धारा 147/148/149/302 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 4–राजेश कुमार 5–अनिरूद्ध कुमार को धारा 147/148/149/302 भादवि में आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट लखनऊ/थाना पारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा थाना पारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त सौरभ उर्फ सोनू को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जनपद कौशाम्बी/थाना पिपरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पिपरी पर पंजीकृत अभियोग धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शिव नारायण को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफः पुलिस अभिरक्षा से फरार जनपद खगड़िया, बिहार के अभियोग में वांछित चल रहा रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी धर्मवीर यादव को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 एवं एस0टी0एफ0 बिहार की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 24–12–2024 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना चित्रगुप्त, जनपद खगडिया बिहार के मु0अ0स0 701/21 धारा 341/323/353/188/224/34 भादवि के अभियोग में वांछित रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी धर्मवीर यादव को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 एवं एस0टी0एफ0 बिहार की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>अभियुक्त का विवरणः–</u>

धर्मवीर यादव पुत्र स्व0 रामानंद यादव निवासी मोरकाही, थाना अलौली, जिला खगडिया, बिहार ।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–</u>

दिनांक 24–12–2024 समय 12.10 बजे, एनआरआई कट के पास से थाना बीटा–2 गौतमबुद्धनगर क्षेत्र।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण में व श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि एसटीएफ बिहार पुलिस द्वारा पूर्व से ही उपरोक्त अभियोग में वांछित चल रहे रू0 1,00,000/– के पुरस्कार घोषित अपराधी धर्मवीर यादव पुत्र स्व0 रामानंद यादव निवासी मोरकाही, थाना अलौली, जिला खगडिया, बिहार के सम्बन्ध में पतारसी सुरागरसी हेतु एसटीएफ उ0प्र0 से सूचना का आदान–प्रदान किया गया था। इसी क्रम में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य, एसटीएफ नोएडा द्वारा एसटीएफ की टीम व बिहार एसटीएफ की टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के दौरान आज दिनांक 24–12–2024 को उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य मय फोर्स के अभियुक्त धर्मवीर यादव, उपरोक्त की तलाश में थाना बीटा–2 गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तो उसी दौरान उनको मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना अलौली जनपद खगडिया बिहार पर पंजीकृत मु0अ0स0 701/21 धारा 341/323/353/188/224/34 भादवि के अभियोग में वांछित अपराधी धर्मवीर यादव, एन0आर0आई0 कट परीचौक के पास कही जाने हेतु खड़ा है। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर एसटीएफ उ0प्र0 एवं बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा तत्काल त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी करके अभियुक्त धर्मवीर यादव को समय करीब 12.10 बजे उक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त धर्मवीर यादव ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 35 साल है और वह इन्टरमीडिएट पास है। बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2014 में थाना अलौली जनपद खगडिया बिहार क्षेत्र में ईट भट्‌टे पर काम करने वाले मुन्शी आलोक का अपहरण कर लिया था जिसके सम्बन्ध में थाना अलौली खगडिया, बिहार पर मु0अ0स0 101/2014 धारा 364/386/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियुक्त धर्मवीर यादव ने अपने परिजनों के साथ मिलकर वर्ष 2016 में जमीन के विवाद के सम्बन्ध में अपने गॉव के पास के रहने वाले राजेश यादव पुत्र कुलदीप यादव की हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अलौली, जनपद खगडिया पर मु0अ0स0 165/16 धारा 364/302/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में पुलिस द्वारा अभियुक्त के पिता एवं भाई को गिरफ्तार किया गया था तथा वह मौके से भाग गया था। इसके बाद वर्ष 2017 में थाना हाजीपुर बिहार पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मवीर यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त धर्मवीर यादव ने जेल में निरूद्व रहते हुए जेल से भागने की योजना बनायी थी और एक दिन अभियुक्त धर्मवीर यादव द्वारा अपने सीने में दर्द का बहाना बनाया गया और

जब पुलिस उसको उपचार हेतु जेल से सदर अस्पताल, खगडिया ले जा रही थी तो मौका पाकर अभियुक्त धर्मवीर यादव पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था और अपनी गिरफ्तारी के डर से अपना नाम छिपाकर अनमोल राय एवं अमित के नाम से दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में रह रहा था।

पुलिस अभिरक्षा से फरार की घटना के सम्बन्ध में थाना चित्रगुप्त, खगडिया बिहार पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त धर्मवीर यादव वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अपर पुलिस महानिदेशक,(अभि0) बिहार पटना के पत्रांक 2529/अभियान (**SIG)** दिनाक 26 नवम्बर 2024 के द्वारा रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित हो रखा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त धर्मवीर यादव, उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क्र0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	101/14	364/386/34 भादवि	अलौली	खगडिया बिहार
2	60/14	364/34 भादवि	अलौली	खगडिया बिहार
3	225/16	147/148/149/353/504 भादवि एवं 25(1बी)/26/27/35 आर्म्स एक्ट	सहरसा	बिहार
4	165/16	364/302/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	अलौली	खगडिया बिहार
5	121/17	341/323/385/386/504/506/34 भादवि	अलौली	खगडिया बिहार
6	820/17	25(1–बी)26, 26 **II and 8/20 B NDPS Act**	हाजीपुर टाउन	वैशाली बिहार
7	701/21	341/323/353/188/224/34 भादवि	चित्रगुप्त	खगडिया बिहार

एसटीएफ उ0प्र0 एवं एसटीएफ बिहार टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान अभियुक्त धर्मवीर यादव, को गिरफ्तार कर थाना बीटा–2 गौतमबुद्धनगर में दाखिल किया गया। तदोपरान्त विधिक प्रक्रिया के पश्चात अभियुक्त धर्मवीर यादव को एसटीएफ बिहार के सुपुर्द किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही एसटीएफ बिहार पुलिस द्वारा की जा रही है।

————